समाहरणालय, जमुई।
(उत्पाद शाखा)
आम नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के अधि ण वाद में माननीय न्यायालय समाहर्त्ता, जमुई के द्वारा अधिग्रहित वाहनों का सार्वजनिक नीलामी समाहरणालय भ कक्ष, जमुई में दिनांक 22.01.2018 को प्रातः 11:00 बजे से सम्पन्न किया जाएगा। नीलामी प्रक्रिया पर समाहर्त्ता, जमुई के अध्यक्षता में गठित नीलामी समिति के पर्यवेक्षण में सम्पन्न होगी। वाहनों की विस्तृत जान री निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	अधिहरण वाद संख्या	थाना का नाम	थाना काण्ड संख्या	वाहन का प्रकार	वाहन का निबंधन संख्या	वाहन का निर्धारित न्यूनतम मूल्य (रू0 में)	अग्रधन क राशि (रू0 में) 10%
1	20/2016	सोनो	152/16	टाटा सफारी	WB-38U-2077	4,05,000.00	40,500.0
2	29/2016	चकाई	191/16	ऑटो	BR-21P-0718	65,000.00	6,500.0
3	40/2016	सोनो	182/16	होंडा सिटी जेड एक्स	WB-02AJ-5167	5,53,000.00	55,300.0
4	01/2017	सोनो	95/16	एम्बेस्डर कार	मिटा हुआ नम्बर	18,000.00	1,800.0
5	41/2017	सिकन्दरा	61/17	1. एसेन्ट कार	DL-2CW-2455	2,20,000.00	22,000.0
				2. सेन्ट्रो झींग कार	BR-02K-7156	1,50,000.00	15,000.0

नीलामी की शर्तें :–

1. डाक में भाग लेने वाले डाककर्त्ता नीलामी की तिथि दिनांक– 22.01.2018 के एक दिन पूर्व क अग्रधन की राशि अधीधक उत्पाद, जमुई के कार्यालय में नगद/बैंक ड्रफ्ट के रूप में जमा ना होगा।
2. नीलामी में सफल व्यक्ति का अग्रधन नीलामी के तय राशि में समायोजित कर ली जायेगी।
3. अधिकतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को ही वाहन दिया जाएगा। नीलामी समिति का निर्णय अ म होगा। इसे किसी भी अदालत में चुनौति नहीं दिया जा सकता है। नीलामी में सफल व्यक्तियों को नीलामी की राशि नीलामी के दो कार्यदिवसों के भीतर अधीक्षक उत्पाद, जमुई के कार्यालय में मा करना होगा अन्यथा अग्रधन की राशि जब्त कर, नीलामी द्वितीय नम्बर पर आने वाले वक्ता क दी जायेगी।
4. नीलामी समिति द्वारा सफल क्रेता के नाम से वाहन का निबंधन कराने के लिए निमित मात्र नी मी कर दिये जाने का अधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा। वाहन संबंधित कागजात बनाने की जिम्मे री नीलामी प्राप्त करने वाले क्रेता की होगी। वाहन के सभी प्रकार के भार (Free of a encumbran s) से मुक्त मानते हुये नीलामी की जायेगी। नीलामी की न्यूनतम राशि में किसी प्रकार का कर सम त नहीं है। नीलामी में सफल क्रेता को नियमानुकूल सभी देय करों का भुगतान करना होगा।
5. नीलामी जो है, जहाँ है, जैसा है, के आधार पर किया जायेगा तथा किसी प्रकार का परिवहन व्यय य नहीं होगा।
6. इच्छुक व्यक्ति संबंधित वर्णित स्थलों पर जाकर वाहनों को देख सकते हैं।
7. अधिकतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को ही पूर्ण भुगतान के आधार पर वाहन दिया जायेगा।
8. किसी भी वाहन या सभी वाहनों की नीलामी बिना कारण रद्द करने की शक्ति अद्योहस्ताक्षरी एवं नीलामी समिति के पास सुरक्षित होगा।
9. विशेष जानकारी के लिए अधीक्षक उत्पाद, जमुई कार्यालय में कार्य अवधि में सम्पर्क कर सकते है।
10. डाककर्त्ता को PAN एवं ADHAAR धारक होना अनिवार्य है।

अधीक्षक उत्पाद,
जमुई।

समाहर्त्ता,
जमुई।